

# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर

पत्रांक मीमो 2023/24

दिनांक 02.09.2023

प्रधानाचार्या  
सन शाईन पब्लिक स्कूल  
फजलपुर तबेला, नजीबाबाद  
बिजनौर ।

विषय: मान्यता अध्यतन जारी होने के संबंध में :-

महोदय

उपयुक्त विषय में आपके द्वारा कार्यालय से मॉगी गयी जानकारी के संबंध में सन शाइन पब्लिक स्कूल फजलपुर तबेला नजीबाबाद बिजनौर की मान्यता इस कार्यालय द्वारा कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक दिनांक 01.07.13 पत्रांक संख्या 2596-98/2013-14 द्वारा जारी की गयी है जो अध्यतन जारी है विद्यालय के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चल रही है ।

02.9.2023

(जयकरन यादव )

बेसिक शिक्षा अधिकारी  
बिजनौर

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
बिजनौर

Deepa Mittal

**MANAGER**

Sun Shine Public School  
Fazalpur Tabela, Najibabad

02.09.2023

**Principal**  
Sun Shine Public School  
Fazalpur, Najibabad



महामिदेशक, स्कूल शिक्षा

एवं

राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

जनक शिक्षा, विद्या भवन, विशालनगर, लखनऊ - 226 007

ई-मेल: upfara002@gmail.com

दूरभाष: 0522-4024440, 2780364, 2781128



राज्य परियोजना निदेशक,  
स्कूल शिक्षा, 3090  
लखनऊ।

श्री मनोच वर्मा  
संयुक्त सचिव  
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,  
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार,  
राजकी भवन, नई दिल्ली।

चक्र संख्या/

/2021-22/लखनऊ

दिनांक 8 फरवरी, 2022

विषय - एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को नवीन यू-डायस कोड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि राज्य स्तर से विभिन्न वर्षों में मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के सम्बन्ध में नवीन-डायस कोड आवंटित किये जाने के अनुरोध अधिसूचित किये गये हैं। एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को भारत सरकार के स्तर से यह अंकित करते हुए वापस कर दिया गया है कि कृपया अपडेटेड मान्यता प्रमाण उपलब्ध कर प्रेषित करें।

उक्त अधिसूचित किये गये अनुरोधों में वार्षिक शैक्षिक संस्थाएँ ही अधिसूचित की गयी हैं। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, शिक्षा अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08 मई, 2013 (प्रति सलग्न) संख्या-15 में उल्लिखित निर्देश "प्रथमदृष्टया निर्धारित प्रारूप पर निम्नानुसार में उल्लिखित प्रावधानों के दृष्टिगत प्रत्येक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रमाण उपलब्ध संज्ञाहित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है" के अनुसार मान्यता के सम्बन्ध में अपडेटेड प्रमाण-पत्र निर्गत करने का प्रावधान नहीं है। आगामी एक वर्ष के पूर्व से एक वर्ष में मान्यता प्राप्त अधिकांश नवीन संचालित शासकीय संस्थाओं के यू-डायस कोड आवंटन हेतु ही यह अधिसूचना एक स्वीकृत किए जाएंगे। इस सम्बन्ध में समस्त जनपदों को निर्देश प्रेषित कर दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व के बुटिवश/समुचित प्रचार-प्रसार के अभाव में यू-डायस कोड आवंटन का अनुरोध करने वाले विद्यालयों को राज्य स्तर से अधिसूचित अनुरोधों के क्रम में वर्तमान स्तर में यू-डायस कोड आवंटित करने का

संकेत

भवदीया

(अनीमिका सिंह)

राज्य परियोजना निदेशक।

5654/2021-22/लखनऊ/सददिनांक

न जनपद उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि आपके जनपद में संचालित समस्त वात्र यू-डायस कोड को आवंटन की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

राजकीय निदेशक (साइबरिस्ट एफ)

भारी समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

Dr. Anshu Khatun

MANAGER

Sun Shine Public School  
Fazalpur Tabela, Najibabad

(अनीमिका सिंह)

राज्य परियोजना निदेशक।

Sun Shine Public School  
Fazalpur, Najibabad

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
बिजनौर।

सेवा में

प्रबंधक  
सन शाईन पब्लिक स्कूल, फजलपुर तबेला, ब्लाक-नजीबाबाद  
जनपद-बिजनौर।

पत्रांक-बेसिक/मान्यता/2556-90/2013-14  
विषय-

दिनांक 01/07/13

निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के उपबंधों के लिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 के नियम 15 के उपबंध (2) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया

उपरोक्त विषयक सूच्य है कि आपके आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पर्यवेक्षण पत्राधार/निरीक्षण के प्रातिनिदेश से मैं सन शाईन पब्लिक स्कूल, फजलपुर तबेला, ब्लाक-नजीबाबाद (बिजनौर) दिनांक 1-7-2012 से दि० 30-6-2015 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी माध्यम से कक्षा-नर्सरी से कक्षा-8 तक के लिए अनन्तम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मजुरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्याधीन है-

- मान्यता को मजुरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पर्यवेक्षण मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाधकता विवक्षित नहीं है।
- विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- धारा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पुस्तक बैंक स्थापित करेगा।
- सोसाइटी/विद्यालय किसी भी क्विटेड शिल्ड का संग्रहण नहीं करेगा और किसी भी प्रकार का अशुभ प्रचार या संरक्षक को किसी रकीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-
  - (1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फाल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
  - (2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जाएगा।
  - (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
  - (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिव्यक्त किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
  - (5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निश्चयता वरत/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
  - (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन तथा अधिव्यक्त न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अधिव्यक्त करेंगे।
  - (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता होगा।
  - (8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगा।
- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत पाठ्यपुस्तक के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और मान्यताओं को बनाए रखेगा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
बिजनौर

Principal  
Sun Shine Public School  
Fazalpur Tabela, Najibabad (B)

MANAGER  
Sun Shine Public School  
Fazalpur Tabela, Najibabad

अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं :-

- (1) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल-5405 वर्ग मी०
  - (2) कुल निमित्त क्षेत्र 35514 वर्ग मी०
  - (3) क्रीडा-स्थल का क्षेत्रफल-खेल का मैदान उपलब्ध है।
  - (4) कक्षाओं की संख्या-16
  - (5) प्राध्यापक-सह कार्यालय-सह भंडागार के लिए कक्ष-03
  - (6) बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय-उपलब्ध है।
  - (7) पेयजल सुविधा-उपलब्ध है।
  - (8) मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई-योजना लागू नहीं है।
  - (9) बाधा रहित पहुँच-है।
  - (10) अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता-उपलब्ध है।
- 9 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएगी।
- 10 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जाएगा।
- 11 विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12 स्कूल को किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13 विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14 आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या...../..... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15 विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के संतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यों को कर्मियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
- 16 सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

सहस्र

01-07-13

(राकेश कुमार श्रीवास्तव)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
बिजनौर

पृ० सं० बेसिक/

/2013-14

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ० प्र० शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- 2-सचिव, उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
- 3-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।
- 4-जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जनपद-बिजनौर।
- 5-संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद-बिजनौर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
बिजनौर।

28

Sun Shine Public School  
Fazalpur Tabela, Najibabad (Bijnor)

MANAGER  
Sun Shine Public School  
Fazalpur Tabela, Najibabad